न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

देवी सिंह बनाम बहादुर सिंह

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा

मुकदमा – 66/2017

27.09.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 की ओर से पूर्व में दिनांक 31.01.2019 को जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था। बावजूद 23 अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं किया गया है एंव ना ही वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ही पेश की गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 5 का जवाबदेही का अवसर बन्द किया जाता है। वकील वादीगण ने अन्य पक्षकारान् प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते अंतिम निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– कोटड़ी सिमारला में पेश हो।

27/09/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

05.10.2021 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कोटड़ी सिमारला में वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण का प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णय किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद सुनाई होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

05/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः— कोटड़ी सिमारला पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16/2017	2017/053	31.01.2017	05.10.2021

उनवान

1. देवी सिंह उम्र—50 साल
2. सन्तोष सिंह उम्र—40 साल
3. रूपा कंवर पत्नि स्व0 कल्याणसिंह उम्र—70 साल
   समस्त जाति राजपूत निवासी सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. बहादुर सिंह उम्र—60 साल
2. पूरणसिंह उम्र—45 साल
3. शंकर सिंह उम्र—40 साल
   पुत्रगण भगवानसिंह
4. मोहन कंवर पुत्री भगवान सिंह उम्र—48 साल
   समस्त जाति राजपूत निवासी सिमारल कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित—

श्री राम सिंह शेखावत, वादीगण अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 5 अभिभाषक

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित

05/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ग्राम सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 4.4100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खतौनी खातेदार भगवानसिंह व जमनसिंह पुत्रान् भँवरसिंह के नाम दर्ज होकर चली आ रही है। खातेदार भगवानसिंह व जमनसिंह दोनों फौत हो चुके है। मृत्तक खातेदार भगवानसिंह के वारिसान् प्रतिवादी सं. 1 ता 4 है। भगवानसिंह की पत्नी रतन कँवर भी फौत हो चुकी है व मृत्तक खातेदार जमनसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण है जो जमनसिंह मृत्तक के सगे भाई भगवानसिंह व कल्याणसिंह के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार से होना प्रकट है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है। विवादित भूमि पूर्व में भंवरसिंह दादा पक्षकारान् के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जो भँवरसिंह के मरने के बाद उनके तीनों लड़कों क्रमशः भगवानसिंह, जमनसिंह व कल्याणसिंह के नाम विरासत में आ गई। कब्जा काश्त भी तीनों का बराबर चलता रहा। भगवानसिंह व कल्याणसिंह दोनों शादीशुदा थे व जमनसिंह अविवाहित रहा जो हमेशा से कल्याणसिंह के पास ही रहा व उसकी मृत्यु पश्चात् तक का खर्चा कल्याणसिंह ने ही वंहन किया। जमनसिंह की उक्त विवादित भूमि कल्याणसिंह के ही कब्जे काश्त की हमेशा से रही है। जमनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपना 1/3 हिस्सा कल्याणसिंह को दे दिया था। कल्याणसिंह के मरने के बाद उक्त हिस्से पर वादीगण ही काबिज काश्त है जो कल्याणसिंह के वारिसान् है। वादीगण ने अपने हिस्से 1/3 की भूमि में आवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा आदि बना रखे है। उक्त सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/3 मय कुआ विधुत पम्पिंग सैट पर वादीगण व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण व हिस्सा 1/3 पर अन्य हरदेव व कजोड़ काबिज काश्त चले आ रहे है। इसके बाद भगवानसिंह, कल्याणसिंह व जमनसिंह तीनों फौत हो गये है। वादीगण 1/3 हिस्सा पर आबाद होकर काबिज काश्त चले आने से नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में दिनांक [illegible].04.2017 व दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
08/10/21
दिलीप सिं
उपखण्ड अधिकारी, श्री

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा। अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्य वादीगण में वादी नं. 3 रूपा कवँर का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 5 का जवाब दावा बन्द किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आपस में एक ही परिवार से है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए राजीनामा अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा भी न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है एंव साक्ष्य वादीगण में भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 4.4100 हैक्टर के 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम तथा 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर घोषित किये जाने एंव उक्त भूमि से मृत्तक भवानसिंह, जमनसिंह पुत्र भॅवरसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 से नाम हजफ किया जाकर शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण [illegible] हक व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 4.[illegible] हैक्टर के 1/3 हिस्सा का वादीगण को व 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (सीकर)

05/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...ा है तथा उक्त हिस्से से मृत्तक खातेदारान् भगवानसिंह, जमनसिंह पि0 भॅवरसिंह का नाम दर्ज हिस्सा 2/3 से हजफ किया जाता है तथा शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः– कोटड़ी सिमारला के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

05/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested